न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2018 निगरानी PBR/अपील/ग्वालियर/भू.रा./2018/01843

सीमा सुरक्षा बल कार्मिक गृह निर्माण सहकारी समिति ग्वालियर द्वारा अध्यक्ष विजय सिंह पुत्र स्व. श्री विधाराम सिकरवार निवासी बी – 17 बी.एस.एफ. कालोनी महाराजपुरा, भिण्ड रोड ग्वालियर म.प्र.

...........आवेदक

बनाम

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला ग्वालियर

.... अनावेदक

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 (1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त महोदय संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 697/ 2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 4.1.2018 से परिवेदित होकर निगरानी प्रस्तुत है ।</u>

श्रीमानजी,

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भूरा/2018/1843

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-04-18	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0एस0सेंगर द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4-1-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि राजस्व अभिलेख में शासकीय नहर के रूप में दर्ज है इसलिये विचारण न्यायालय द्वारा पूर्ण विवेचना करने के उपरांत ही अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर आवेदक को प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये है जिसें दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अत: अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है ।	
	अध्यक्ष	